कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांकः C-346 /जि0का0अ0/2022–23दिनांक 03 जून,2022

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
एंव प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी
जनपद–पीलीभीत।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या रा0बा0आ0/146/76/कोविड/2022–23 दिनॉक 04.05.2022 के अनुसार जनपद में संचारित आंगनबाडी केन्द्रों के 06 वर्ष तक के बच्चों की कोविड की सम्भावित लहर एवं भीषणत्मक/गर्मी से सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए प्री प्राइमरी में कक्षा 08 तक के विद्यालयों हेतु घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश तक आंगनबाडी केन्द्रों में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माह मई 2022 के जिला पोषण समिति की बैठक में माननीय अध्यक्ष जिला पोषण समिति/जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनॉक 15.06.2022 तक आंगनबाडी केन्द्रों पर 03–06 वर्ष तक के बच्चों के अवकाश की अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान की गई है।

1. आंगनबाडी कार्यकत्री यथावत आंगनबाडी केन्द्रों पर उपस्थित रहेगी।
2. आंगनबाडी कार्यकत्री पोषाहार वितरण, गृह भेंट वृद्वि निगरानी आदि कार्य यथावत करेगी।
3. आंगनबाडी कार्यकत्री ग्राम स्वास्थ एवं पोषण दिवस, टीकाकरण, आदि अन्य समस्त कार्यो का सम्पादन भी इस अवधि में सुनिश्चित करेंगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत एवं उपरोक्त वर्णित शर्तो के अधीन आंगनबाडी केन्द्रों पर दिनॉक 15.06.2022 तक 06 वर्ष तक के बच्चों हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

03/6/22
(अरविन्द कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
पीलीभीत।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक।
प्रतिलिप– निम्नाकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी पीलीभीत।
2. मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत।
3. समस्त आंगनबाडी पीलीभीत।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
पीलीभीत।